

# भू-पट्टी (STRIP OF LAND) के आवंटन का विशेष अभियान

आवासन मण्डल के मूल आवासों से लगती हुई ऐसी जमीनों  
जिनका स्वतंत्र भूखण्ड के रूप में उपयोग संभव नहीं है, के लिए  
**विशेष अभियान**

यह अभियान दिनांक 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2020 तक चलेगा

## आवंटन की घटने

- भू-पट्टी का आवंटन आवासीय आरक्षित दर के 1.50 गुना पर किया जाएगा। पूर्व में यह आवंटन आवासीय आरक्षित दर के 2 गुना पर किया जाता था।
- अब लीज केवल आवासीय आरक्षित दर पर ही बसूली जाएगी, पहले यह आवासीय आरक्षित दर के 2 गुना पर बसूली जाती थी।
- भू-पट्टी जोड़ने के बाद भूखण्ड का जो आकार हो जाएगा, उस पर बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार आवास मालिक निर्माण कर सकेगा।
- आवेदन पत्र के साथ 25000 रुपये का डी.डी.संलग्न किया जाएगा, जो कि भू-पट्टी की आवंटन राशि में समायोजित कर दिया जाएगा।
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र (मय संलग्नक) संबंधित आवासीय अभियन्ता/वृत्त कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- आवेदन पत्र का प्रारूप मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड करें अथवा मंडल कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त करें।
- प्रस्तावित भू-पट्टी का साइट प्लान आवेदक को 3 प्रतियों में जमा कराना होगा। इस साइट प्लान में मूल भूखण्ड/आवास भी दिखना चाहिए तथा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में जो भी भूखण्ड/सड़क या ढांचा मौजूद है, वो भी अंकित होना चाहिए। इसके साथ ही प्रस्तावित भू-पट्टी का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) भी अंकित होना चाहिए।
- प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर एक माह के भीतर भू-पट्टी के आवंटन का निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा।
- आवंटन कम मांगपत्र में दर्शित राशि का भुगतान 60 दिन में करना होगा अन्यथा भू-पट्टी का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- जिन लोगों का मूल आवास के साथ भू-पट्टी पर कब्जा है और फिर भी उसके आवंटन के लिए 31.08.2020 तक आवेदन नहीं करते हैं तो उन्हें अतिक्रमी मानते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा।

आवासन मण्डल की सभी योजनाओं की जानकारी के लिए राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाइट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) विजिट करें या कॉल सेन्टर पर फोन से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हैल्प लाइन नं. कार्यालय समय में : 0141-2744688 एवं 0141-2740009  
कार्यालय समय उपरान्त: 9461054291 / 92 / 319 एवं 9460254319

बुधवार नीलामी उत्सव के तहत मकान की कीमत का  
**10% दीजिए गृह प्रवेश कीजिए**  
योजना में सभी के लिए  
**किए तो पर अपना घर**  
दरवाजे का सुनहरा अवसर

(इस योजना में प्रत्येक सोमवार प्रातः 10 बजे से बुधवार साथ 4 बजे तक ऑनलाइन विड सबमिट की जा सकती है।)